(क) कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कोर्टों की बैठकें नहीं हुई हैं और ये बैठकें कब से नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कोर्टों की बैठकें नियमित रूप से किये जाने के लिये कोई निर्देश जारी किया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों ने इस निर्देश का पालन किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जिन तारीखों को विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोर्ट की पिछली बैठक आयोजित की गई थी, उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं । कोर्टों की बैठकें आयोजित करना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विश्वविद्यालय का नाम	वे तारीखें, जब कोर्ट की पिछली बैठकें आयोजित की गई
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	20-4-1990
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	10-7-1990
3.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	24-3-1990
4.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	24-2-1989
5.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	29-7-1990
6.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	15-1-1989
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय	19-8-1989
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	2-12-1989
9.	विश्वभारती	17-3-1990

टिप्पणी : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधियों में कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है ।

Meeting of AIKVTA delegation with the Chairman, KVS

57. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have been requesting during the last six months for a meetnig of an AIKVTA delegation with the Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan to discuss demands and problems of teachers of Kendriya Vidyalyas;

(b) if so, what are the details of such requests, oral and written and the names of MPs who made these;

(c) what are the reasons for Chairman's continuous indifference thereto;

(d) whether the Chairman has now agreed to hold bilateral talks; and

(e) if so, the detailed outcome thereof?